न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3736–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 7/निगरानी/2011–12.

....

कमलसिंह पुत्र स्व.श्री बाबूलाल
निवासी ग्राम नयापुरा नई जेल,
भोपाल मध्यप्रदेश

.... आवेदक

विरूद्ध

गंगाबाई पत्नि श्री मोहनलाल
निवासी माता मोहल्ला बरखेडी
तहसील हुजूर, जिला भोपाल

.... अनावेदिका

....

श्री बी0एन0मिश्रा, अभिभाषक–आवेदक
श्री बी0एन0कोचर, अभिभाषक–अनावेदिका

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/1/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा ग्राम नेवरी स्थित उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 2/1/3/4, 144/2/2/3 रकवा 0.250 हेक्टर के सीमांकन कराने हेतु तहसीलदार वृत्त बैरागढ भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्रमांक 46–अ–12/09–10 दर्ज कर सीमांकन किया जाकर एवं दिनांक 12–5–10 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2011 से निरस्त की गई। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2011 के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण क्रमांक 07/निगरानी/11–12 पर दर्ज की जाकर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–10–14 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे गये। आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि आवेदक की अनुपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जबकि सीमांकन में आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किये जाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही में आवेदक उपस्थित नहीं था तो पंचनामें पर उसके हस्ताक्षर कैसे हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् सीमांकन कार्यवाही करते हुये सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर सीमांकन किया जाकर सीमांकन पंचनामा बनाया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पड़ोसी कृषक सहित आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है व उपस्थिति स्वरूप उसके हस्ताक्षर भी पंचनामा पर उपलब्ध हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता एवं अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि सीमांकन आवेदक की उपस्थिति में किया गया है इसलिये आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि आवेदक की अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है। अपर कलेक्टर द्वारा भी उक्त आशय का निष्कर्ष निकालते हुये तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई है और आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसम्मत् हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश 14–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर